न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलड़ा (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 17 / 2022
दायर दिनांक : 14 / 02 / 2022
निर्णय दिनांक : 03 / 2 / 2025

उनवान

1. भागवन्ती पुत्री मोतीलाल ब्राहम्ण निवासी बड़वाई तहसील भूपालसागर हाल मुकाम मुरलिया तहसील भेदसर

वादी

बनाम

1. कान्ताबाई पत्नी मोतीलाल ब्राहम्ण निवासी बड़वाई तहसील भूपालसागर
2. जगदीशचन्द्र पुत्र मोतीलाल ब्राहम्ण निवासी बड़वाई तहसील भूपालसागर
3. राधेश्याम पिता मोतीलाल ब्राहम्ण निवासी बड़वाई तहसील भूपालसागर
4. तहसीलदार, भूपालसागर

प्रतिवादी

राजस्व वाद अंतर्गत धारा–88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थितिः– 1. श्री मनोज कुमार जाट, अधिवक्ता वादी

: निर्णय :

वकील वादी की ओर से एक वादपत्र बाबत् इश्तकरार हक, इन्द्राज दुरुस्ती, खातेदारी अधिकार की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा–88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का पेश किया। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है :

यह है कि ग्राम बडवाई पटवार हल्का मुरला तहसील भूपालसागर के हल्के में आ.सं 483 रकबा 0.02 है., आ.सं. 484 रकबा 0.14 है., रकबा 0.37 है. आ.सं. 486 रकबा 0.05 है., आ.सं. 492 रकबा 0.26 है., आ.सं. 493 रकबा 0.08 है., आ.सं. 494 रकबा 0.90 है., आ.सं. 495 रकबा 0.02 है., आ.सं. 542 रकबा 0.39 है., आ.सं. 543 रकबा 0.50 है., आ.सं. 544 रकबा 0.21 है. कुल खसरा 11 कुल रकबा 2.94 है. स्थित है। उक्त आराजी में मुझ वादिया का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का भी 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 2 का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं. 3 का भी 1/4 हिस्सा संयुक्त खातेदारी अधिकार से अंकित है जमाबंदी की प्रमाणित प्रति वादपत्र के साथ पेश है। वादगत आराजी के पक्षकारान की पैतृक सम्पत्ति होकर पक्षकारान के पिता मोतीलाल पुत्र फूलचन्द ब्राहम्ण निवासी बड़वाई के स्वामित्व, अधिपत्य एवं कब्जे की थी। पक्षकारान के पिता मोतीलालजी का सन् 2014 में स्वर्गवास हो गया है स्वर्गीय मोतीलालजी की विरासत का नामान्तरण सं. 337 पर दर्ज होकर स्वीकृति दिनांक 09.09.2014 को हुई माफिक इन्तकाल जमाबंदी में पटवार हल्का मुरला द्वारा अमल दरामद किया गया तदनुसार मृतक मोतीलाल के बजाय जगदीशचन्द्र, राधेश्याम पुत्र मोतीलाल, कान्ताबाई पत्नी मोतीलाल एवं भावना पुत्री मोतीलाल हिस्सा बराबर नाम के उत्पन्न हुआ। नामान्तरण में लिपिकीय भूल से मुझ वादी का नाम भागवन्ती के बजाय भावना अंकित हो गया मुझ वादिया का आधार कार्ड मतदाता पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड एवं शिक्षा बोर्ड राजस्थान कक्षा 10 की अंकतालिका आदि सभी दस्तावेज में भागवन्ती ही अंकित है तथा मेरा नाम भावना नहीं होकर भागवन्ती है जिसे यह संशोधित करवाया जाना आवश्यक है कि वादगत आराजी का वर्तमान राजस्व खसरे वार्ड का अंकन भावना के स्थान पर भागवन्ती अंकित किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। मुझ वादिया ने पटवारी हल्का मुरला को जमाबंदी में गलत अंकन भावना के स्थान पर भागवन्ती अंकित करने का निवेदन किया जिस पर पटवार हल्का मुरला ने मुझे बताया कि इस बाबत आपको न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर आदेश कराना आदेश के उपरान्त ही हम भावना के स्थान पर भागवन्ती अंकित कर पाऐगें इस पर मुझ वादिया ने प्रतिवादी सं. 4 से इस बाबत आवेदन किया जिस पर प्रतिवादी सं. 4 की ओर से भी मुझे न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने को ही कहा गया। अतः वाद हेतुक उत्पन्न हुआ जिसकी शुरूआत दिनांक 11.12.2021 को हुई जो निरन्तर जारी है। अतः वादी की प्रार्थना है कि वादपत्र की चरण संख्या एक में वर्णित ग्राम बड़वाई पटवार हल्का मुरला तहसील भूपालसागर के हल्के में आ.सं. 483 रकबा 0.02 है., आ.सं. 484 रकबा 0.14 है., आ.सं. 485 रकबा 0.37 है., आ.सं. 486 रकबा 0.05 है., आ.सं. 492 रकबा 0.26 है., आ.सं. 493 रकबा 0.08 है., आ.सं. 494 रकबा 0.90 है.,

Signature Not Verified
Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2025.03.10 11:39:30 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

आ.सं. 495 रकबा 0.02 है., आ.सं. 542 रकबा 0.39 है., आ.सं. 543 रकबा 0.50 है., आ.सं. 544 रकबा 0.21 है., कल खसरा 11 कुल रकबा 2.94 है. स्थित है उक्त आराजी में मुझ वादिया का 1/4 हिस्सा के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अंकन से भावना गलत अंकित होने से भावना के स्थान पर भागवन्ती अंकित किये जाने की घोषणा का निर्णय एवं डिक्री बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण सादर फरमाई जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादी सं. 1 व 3 की ओर से वकील श्री देवीलाल जाट ने अधिकार पत्र व स्वीकारोक्ति का जवाब पेश किया। प्र.सं. 3 के विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा की गई। प्र.सं. 4 पैरोकार जवाब प्रस्तुत किया, जवाब में अंकित किया कि ग्राम बडवाई में स्थित हाल आ.सं. 483, 484, 485, 486, 492, 493, 494, 495, 542, 543, 544 किता 11 रकबा 2.94 है. जो अपने पिता मोतीलाल के नाम पर दर्ज थी एवं पिता की मृत्युके बाद विरासत का नामान्तरण सं. 337/09.09.2014 को खुला जिसमें अन्य वारिसान के साथ वादिया का नाम भागवन्ती के बजाय भावना दर्ज हो जाने से वादिया अपना नाम भावना पुत्री मोतीलाल के बजाय सही नाम भागवन्ती पुत्री मोतीलाल करवाना चाहती है। प्रकरण में मृतक मोतीलाल के समस्त वारिसान को सुनते हुऐ वादिया द्वारा चाही गई दाद वैध दस्तावेजी रिकार्ड से सिद्ध करने पर किया जाना उचित है। प्रकरण में राज्य पक्ष प्रभावित नहीं होने से सरकार को कोई आपत्ति नहीं है।

प्रतिवादी संख्या 1 व 3 का स्वीकारोक्ति का जवाब होने, प्र.सं. 2 के विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा होने से तनकीयात कायम नहीं की गई। साक्ष्यवादी में वादिया का शपथ पत्र पी.डब्ल्यू 1 पेश होकर शामिल पत्रावली है। वादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में जमाबन्दी प्रदर्श 1, आधार कार्ड प्रदर्श 2, मतदाता कार्ड प्रदर्श 3, भामाशाह कार्ड प्रदर्श 4, मा.शि.बोर्ड 10 वीं की अंकतालिका प्रदर्श 5 व नामांतरण प्रदर्श 6 प्रदर्श करा बयान लेखबद्ध कराये। साक्ष्यवादी दिनांक 28.02.2024 को बंद की गई। वकील वादी की बहस एकतरफा सुनी गई। हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। विद्वान अभिभाषक के तर्क वितर्क पर मनन किया।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली में वर्णित तथ्यों एवं उपलब्ध साक्ष्य सामग्री, दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। वकील वादी की बहस पर मनन किया। वादीगण द्वारा वाद के संलग्न दस्तावेजों से वादीगण के शपथ–पत्र, उक्त दस्तावेजों एवं साक्ष्यों के शपथ–पत्र व वकील वादी की बहस के आधार पर वादीगण का वाद अंर्तगत धारा–88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है। ग्राम बड़वाई पटवार हल्का मुरला तहसील भूपालसागर के हल्के में आ.सं. 483 रकबा 0.02 है., आ.सं. 484 रकबा 0.14 है., आ.सं. 485 रकबा 0.37 है., आ.सं. 486 रकबा 0.05 है., आ.सं. 492 रकबा 0.26 है., आ.सं. 493 रकबा 0.08 है., आ.सं. 494 रकबा 0.90 है., आ.सं. 495 रकबा 0.02 है., आ.सं. 542 रकबा 0.39 है., आ.सं. 543 रकबा 0.50 है., आ.सं. 544 रकबा 0.21 है., कल खसरा 11 कुल रकबा 2.94 है. स्थित है उक्त आराजी में मुझ वादिया का 1/4 हिस्सा के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अंकन से भावना गलत अंकित होने से भावना के स्थान पर भागवन्ती अंकित किये जाने की घोषणा की जाती है। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.02.2025 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2025.03.10 11:39:30 IST
Reason: SelfAttested

(पुनीत कुमार गेलड़ा)
अतिरिक्त कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर